"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त 2014—— भाद्र 1, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक 7372/डी. 140/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 1 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (तेरह) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(तेरह-क) "एक चक्रानुक्रम" से अभिप्रेत है निरंतर दो आम चुनाव, किंतु जब कभी भी परिसीमन, नवीनतम जनगणना या अन्यथा के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे परिसीमन के प्रकाशन के बाद आयोजित चुनाव को प्रथम चुनाव के रूप में माना जायेगा."

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक 7372/डी. 140/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 1 of 2014)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2014

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2014.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3 of this Ordinance.

Amendment of Section 2.

3. After clause (xiii) of Section 2 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"(xiii-a) "One rotation" means two consecutive general elections, but whenever delimitation is done on the basis of latest census or otherwise then the election conducted subsequent to the publication of such delimitation shall be treated as the first election."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.